कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

(07836–232721 (कार्या.), 232722(फैक्स), (Email ID: Korea.cg@nic.in)

--::आदेश::--

बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/05/2020

क्रमांक/3862/एस.डब्ल्यू./2020 ::–– कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3406/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 08.05.2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू कर पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) की गई है।

2– जिसके तारतम्य में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2117/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 24.04.2020, आदेश क्रमांक/3191/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 04.05.2020, आदेश क्रमांक/3201/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 05.05.2020, आदेश क्रमांक/3496/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 10.05.2020 एवं आदेश क्रमांक/3775/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.05.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये **माह मई 2020** हेतु लॉकडाउन में सम्पूर्ण जिला कोरिया अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों की अनुमति निम्न दिवसों/समय में प्रदान की जाती है:–

क्षेत्र – मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी, खोंगापानी –

- कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल। **(दिन – सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)**
- जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो–रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें। **(दिन – सोमवार, मंगलवार, गुरूवार)**
- ब्यूटी पार्लर **(दिन – सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)**

क्षेत्र – बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर–

- कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल। **(दिन – सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)**
- जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो–रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें।**(दिन – सोमवार, मंगलवार, गुरूवार)**
- ब्यूटी पार्लर **(दिन – सोमवार, मंगलवार, गुरूवार)**

क्षेत्र – समस्त सीमाक्षेत्र जिला कोरिया–

- **सीमेंट/सरिया से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें, बिजली की पंखे की दुकान, छात्रो के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रिपेड मोबाईल रिचार्ज की दुकानें (सोमवार से शुक्रवार)**
- प्रिन्टिंग प्रेस/फ्लैक्स। **(दिन –मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार)**
- फोटो स्टूडियों। **(दिन –मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार)**
- सभी प्रकार की मिठाईयां (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)। **(दिन – सोमवार से शुक्रवार)**
- चाट/गोलगप्पे/लिट्टी चोखा (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)। **(दिन – सोमवार से शुक्रवार)**

जिला दण्डाधिकारी कोरिया (बैकुण्ठपुर)

14/5/2020

DISTT. MAGISTRATE
Distt. Korea (C.G.)

Scanned with CamScanner

उपरोक्तानुसार समस्त दुकानों/सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 09.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों/संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा।

- जिले के नाई/सैलून दुकानों को (दिन –मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार) **समय प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक** संचालित किये जाने की अनुमति रहेंगी।
- डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों/सेवाओं के संचालन का समय **प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।**

– गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेगे।

– पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।

पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत् रहेगा। आदेश का उल्लघंन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

14/5/2020

(डोमन सिंह)
DISTT. MAGISTRATE
Distt. Korea (C.G.)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कोरिया, बैकुण्ठपुर

जिला दण्डाधिकारी कोरिया (बैकुण्ठपुर) छ.ग.

पृ. क्रमांक/3868/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14/05/2020

प्रतिलिपि :–

01– अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02– प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
06– आयुक्त (रा0), सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
07– पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
08– आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
09– पुलिस अधीक्षक, कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ
11– अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12– अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13– सर्व मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner

15— अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चिरिमिरी/बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

16— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

17— समस्त तहसीलदार एव नायब तहसीलदार जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

18— सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

19— आयुक्त, नगरपालिक निगम, चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

20— सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

21— जिला आबकारी अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

22— सर्व कार्यालय प्रमुख जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

23— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर

DISTRICT MAGISTRATE

जिला कोरिया (छ.ग.)

Scanned with CamScanner